महाराष्ट्र शासन
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय

३रा मजला, (विस्तारित), कोंकण भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई-४०० ६१४

संकेत स्थळ : www.mahaswayam.gov.in ई-मेल : dode7.mumbai@ese.maharashtra.gov.in

दूरध्वनी क्र.: ०२२-२७५७१९४२-४४ फॅक्स क्र.: ०२२-२७५७३०१६

कौविरोवउसं-३/धोकाप/मा.अ./(०३/२०१९)/ २२७८ दिनांक : १८ मार्च, २०१९

नोंदणीकृत डाकेने.

प्रति,
श्री शेखजी उस्मान अन्सारी,
सोमवारपेठ मु.पो.सिंदखेड राजा,
ता. सिंदखेड राजा,
जिल्हा बुलडाणा – ४४३ २०२

विषय - माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत अर्जदारास माहिती पुरविण्याबाबत...
संदर्भ - आपला दि.१२/०३/२०१९ रोजी चा विनंती अर्ज.

महोदय,

१. आपण दि.१२/०३/२०१९ रोजी सादर केलेला माहिती अधिकारातंर्गतचा अर्ज या संचालनालयास दि. १८/०३/२०१९ रोजी प्राप्त झाला.
२. या संचालनालयामध्ये प्रत्येक कक्षामध्ये स्वतंत्र माहिती अधिकाऱ्यांची पदे निर्देशित करण्यात आलेली आहेत.
३. आपल्या अर्जातील माहिती माझ्याशी निगडीत असल्यामुळे सदरहू माहिती पुरविण्यासाठी अर्ज मला दि. १९/०३/२०१९ रोजी नोंदणी शाखेकडून प्राप्त झाला.
४. त्याची नोंदवहीमध्ये नोंद घेऊन त्यास ०३/२०१९ असा नोंदणी क्रमांक देण्यात आला. आपण अर्जात मागितलेली माहिती या कक्षाशी संबंधित असल्याने, आपणास खालीलप्रमाणे माहिती पुरविण्यात येत आहे.

मुद्दा क्र.	तपशिल	माहिती
१	National Employment Service Policy and Employment Exchanges Minute No. 1/2010/Pt.I/VIII/79 या पत्राची सत्यप्रत	सदर पत्राची सत्यप्रत सोबत जोडण्यात आलेली आहे.

वरील मुद्दा विचारात घेऊन मी माझा निर्णय पुढील प्रमाणे देत आहे –

- निर्णय –

- आपल्या दि. १२/०३/२०१९ रोजीच्या अर्जानुसार आपणांस हवी असलेल्या National Employment Service Policy and Employment Exchanges Minute No. 1/2010/Pt.I/VIII/79 या Minute ची सत्यप्रत सोबत जोडून मोफत पाठविण्यात येत आहे.
- आपणांस माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनुसार माहिती पुरविण्यात आली आहे म्हणुन आपला अर्ज निकाली काढण्यात येत आहे.
- तथापि, आपणांस या निर्णया विरूध्द अपिल करावयाचे असल्यास, ते अपिल, हा निर्णय आपणांस मिळाल्यापासून ३० दिवसांत खालील अपिलीय अधिकारी यांचेकडे विहित नमुन्यात व विहित पध्दतीने करावे.

२/-

राष्ट्रीय रोजगार सेवा
रोजगार कार्यालय कार्यवृत्त

कार्यवृत्त

ईईएम संख्या.1/2010/भाग I-VII/7.9
की गई कार्रवाई

विषय: गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों/एजेंसियों से प्रमाणपत्र/डिप्लोमा धारक रोजगार चाहने वालों के रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के संबंध में।

एनईएसएम में सरकारी संस्थानों/मान्यताप्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने वाले शिल्पकारों/टेक्नोक्रेटों के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया निर्धारित है पर गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमा/प्रमाणपत्र धारक रोजगार चाहने वालों से संव्यवहार के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। जिन रोजगार चाहने वालों के पास गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होते हैं या ऐसे डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होते है जो मान्य नहीं होते, वे मामले में स्पष्ट निर्देशों की अनुपस्थिति में कुछ रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के समय कठिनाइयों का अनुभव करते हैं।

इस मुद्दे पर हैदराबाद में आयोजित एनईएस पर कार्य समूह की 35वीं बैठक में विस्तार से चर्चा की गई जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह पाया गया कि तमिलनाडु, केरल और दिल्ली जैसे राज्यों में ऐसे प्रमाणपत्र उनकी मान्यता पर जोर दिए बिना पंजीकरण के समय स्वीकार किए जा रहे थे, जबकि कुछ अन्य राज्यों में स्थिति भिन्न थी।

सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कम नियोजन, निजी क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए ध्यान और रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के समय रोजगार चाहने वालों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य समूह द्वारा यह सिफारिश की गई कि गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों (नकली संस्थानों को छोड़कर) के प्रमाणपत्रों/डिप्लोमों या गैर-मान्यताप्राप्त डिप्लोमों/प्रमाणपत्रों को रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के लिए स्वीकार किया जाए और नियोजक एजेंसियां/प्रतिष्ठान भर्ती के समय ऐसे रोजगार चाहने वालों की उपयुक्तता के बारे में निर्णय करें। इस प्रकार रोजगार चाहने वालों द्वारा धारित डिप्लोमों/प्रमाणपत्रों के सत्यापन/स्वीकृति के लिए दायित्व उनकी भर्ती के समय नियोक्ता का होगा। एनईएस संबंधी कार्य समूह की 15 और 16 फरवरी, 2010 को तिरुवनंतपुरम में आयोजित 36वीं बैठक में भी इस सिफारिश की पुष्टि की गई।

इस प्रकार, इस संबंध में, एनईएसएम के खंड 1 के अध्याय 7 और अध्याय 11 में दिए गए निर्देश इस सीमा तक स्पष्ट किए जाते हैं कि जिन रोजगार चाहने वालों के पास गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों (नकली संस्थानों को छोड़कर) द्वारा प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमे/प्रमाणपत्र हैं या गैर-मान्यताप्राप्त डिप्लोमे/प्रमाणपत्र हैं, उन्हें इस कारण उस स्थिति में पंजीकरण से वंचित नहीं किया जाएगा जबकि अन्यथा पात्र पाए जाएं।

संख्या डीजीईटी-एम.27014/1/[illegible]/2009-ईई.I

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, 3/10 जामनगर हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा 30 सितंबर, 2010 को जारी किया गया।

जारी करने के लिए प्राधिकृत:

(जे. कुमार)
उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी

मा.अ.अ., २००५ अंतर्गत
कौविरोवउसं, महाराष्ट्र राज्य

True Copy

Assistant Director
Directorate of Skill Development
Employment and Entrepreneurship
Maharashtra State, Navi Mumbai